



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-17102026-277232
CG-UP-E-17102026-277232

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5447]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948

No. 5447]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

झाँसी, 26 सितम्बर, 2026

का.आ. 5663(अ).— केन्द्रीय सरकार रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11वाँ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 27 फरवरी 2026 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर मध्य रेलवे निर्माण विभाग) की अधिसूचना संख्या- का.आ. 1045(अ), तारीख 23 जनवरी 2026 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को उत्तर प्रदेश राज्य के महोबा जिले के तहसील कुलपहाड़ में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "झाँसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना (411 कि.मी.)" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन "दैनिक समाचार" पत्रों अर्थात् "दैनिक जागरण", "हिंदुस्तान" एवं "अमर उजाला" में दिनांक 06 मार्च, 2026 को प्रकाशित किया गया था;

और, सात आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं,

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट पत्रांक निल दिनांक 02.09.2026 द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना “झांसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (411 किमी) “ का निर्माण करने के लिए महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील में अधिग्रहण की जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं.	तहसील	गाँव का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जन हेतु रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	वर्तमान खतौनी के अनुसार भूस्वामी का नाम-
1	कुलपहाड़	बरेंडा बुजुर्ग	50	22	0.1386	निजी	कृषि	इन्द्रपाल पुत्र दुलिया, नि० ग्राम दादी पुत्र दुलिया नि० ग्राम बाबु पुत्र दुलिया नि० ग्राम बिहारी पुत्र झल्लियां नि० ग्राम
2			3	23	0.1617	निजी	कृषि	ईश्वरदास/पि. बलराम/ नि. हरपालपुर तह. नौगांव जि. छत्तरपुर।
3			98	24	0.0693	निजी	कृषि	वीरेन्द्र/ पि. मुन्नीलाल / नि. हरपालपुर जि. छत्तरपुर।
4			37	25	0.0627	निजी	कृषि	तुलाराम पुत्र महेश नि. हरपालपुर। धनीराम पुत्र महेश नि. हरपालपुर। श्रीमती इन्द्रानी पत्नी स्व. महेश नि. हरपालपुर।
5			124	26	0.0544	निजी	कृषि	सुरेश/ पि. मुन्नीलाल / नि. हरपालपुर तह. व जि. छत्तरपुर, म.प्र.।
6			19	41	0.0648	निजी	कृषि	जानकीप्रसाद/ पि. सुखलाल/ नि. ग्राम दयाली/ पि. सुखलाल/ नि. ग्राम दशरथ/ पि. सुखलाल/ नि. ग्राम भुजबल/ पि. सुखलाल/ नि. ग्राम लक्ष्मनप्रसाद/ पि. सुखलाल/ नि. ग्राम श्रीमती राजकुंवर/ पत्नी स्व. सुखलाल/ नि. ग्राम हीरालाल/ पि. सुखलाल/ नि. ग्राम
7			52	42	0.0720	निजी	कृषि	बालादीन/ पि. प्यारेलाल/ नि. ग्राम बृजगोपाल/ पि. प्यारेलाल/ नि. ग्राम
8			157	27	0.0057			चक्रमार्ग

9			155	28	0.0031			नाली
			योग		0.6323			

[ई.फा.सं.एन.सीआर.-एच.क्यू.शून्य सी.ई.एन.जी.(भूमि)/5/2022-ओ.ओ. डिप्टी. सी.ई./सी-। झांसी (कम्प्यूटर नं. 60371) दिनांक 26.09.2026]

अजीत सिंह यादव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Jhansi, the 26th September, 2026

S.O. 5663(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the ministry of Railways (North Central Railway, Construction Department), Notification Number, S.O. 1045(A), dated the 23rd January 2026 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th February 2026 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (I) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11th of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the Land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, “**Jhansi-Khairar-Manikpur and Khairar-Bhimsen doubling Railway Project (411km)**” in the Tehsil Kulpahar, District Mahoba in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely, “Dainik Jagran, Hindustan & Amar Ujala” dated 06th March 2026 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, seven nos. objections were received and the same have been considered by the Competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government vide letter no. NIL dated 2nd September 2026;

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely “**Jhansi-Khairar-Manikpur and Khairar-Bhimsen doubling (411 km)**” Project under Tehsil Kulpahar in District Mahoba in the State of Uttar Pradesh.

Sr. No	Name of Tehsil	Name of Village	Khata No.	Khasra No.	Area to be acquired (In Hect.)	Type of Land	Nature of Land	Name of Present Land Owner as per Khatauni
1	Kulpahar	Barendra Buzurg	50	22	0.1386	Private	Agriculture	Indrapal, s/o Duliya, resident of village
								Dadi, s/o Duliya, resident of village
								Babu, s/o Duliya, resident of village
								Bihari, s/o Jhalliyan, resident of village

2	Kulpahar	Barenda Bujurg	3	23	0.1617	Private	Agriculture	Ishwardas, s/o Balram, resident of Harpalpur, Tehsil Nowgong, District Chhatarpur
3			98	24	0.0693	Private	Agriculture	Virendra, s/o Munnilal, resident of Harpalpur, District Chhatarpur
4			37	25	0.0627	Private	Agriculture	Tularam, s/o Mahesh, resident of Harpalpur District Chhatarpur
								Dhaniram, s/o Mahesh, resident of Harpalpur District Chhatarpur
								Mrs. Indrani, wife of late Mahesh, resident of Harpalpur District Chhatarpur
5			124	26	0.0544	Private	Agriculture	Suresh, s/o Munnilal, resident of Harpalpur, Tehsil & District Chhatarpur, M.P.
6			19	41	0.0648	Private	Agriculture	Jaanki Prasad, s/o Sukhlal, resident village
								Dayaali, s/o Sukhlal, resident village
								Dashrath, s/o Sukhlal, resident village
								Bhujbal, s/o Sukhlal, resident village
								Lakshman Prasad, s/o Sukhlal, resident village
								Mrs. Rajkunwar, wife of late Sukhlal, resident village
								Hiralal s/o Sukhlal, resident village
7	52	42	0.0720	Private	Agriculture	Baladeen, s/o Pyarelal, resident village		
						Brijgopal, s/o Pyarelal, resident village		
8	157	27	0.0057			Chak marg		
9	155	28	0.0031			Nali		
Total					0.6323			

[e-file No. NCR-HQ0CENG(LAND)/5/2022-O/o DY.CE/C-I/JHS(Computer No.60371) dated 26.09.2026]

AJIT SINGH YADAV, Chief Administrative Officer (Construction)